जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, कैमूर की बैठक
दिनांक 05.04.2004 की कार्यवाही का कार्यवृत्त

दिनांक 5.4.2004 को आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, कैमूर की बैठक [illegible] जिलाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

डा० बी. राजेन्द्र	:	जिलाधिकारी, कैमूर
श्री रामाशीष पासवान	:	उप-विकास आयुक्त, कैमूर
श्री सुभाष चन्द्र सबरवाल	:	क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब नैशनल बैंक-आरा
--- श्री पी. के. सिंह	:	अग्रणी जिला प्रबन्धक, कैमूर
--- श्री के. के. ठक्कर	:	जिला समन्वयक, भारतीय स्टेट बैंक-भभुआ
--- श्री बी. एन. सिंह	:	क्षेत्र प्रबन्धक, मो० रो० ग्रा० बैंक-भभुआ
--- श्री डी. एन. सिंह	:	जिला समन्वयक, बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ़
--- श्री प्रभात किरण	:	प्रबन्धक, केनरा बैंक, केथा
--- श्री ए. के. सिंह	:	जिला समन्वयक, बैंक ऑफ बड़ौदा-मोहनिया
--- श्री वीरेन्द्र शर्मा	:	प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ़
--- सहायक महा-प्रबन्धक	:	जिला उद्योग केन्द्र, भभुआ

सर्वप्रथम श्री पी. के. सिंह, अग्रणी जिला प्रबन्धक, कैमूर ने अध्यक्ष, जिलाधिकारी, कैमूर सहित उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।

अध्यक्ष द्वारा सभा को सम्बोधित करते हुए अग्रणी जिला प्रबन्धक को एजेण्डावार बैठक की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि

अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा पिछली कार्यवाही जो दिनांक 27.12.2003 को सम्पन्न हुई थी, सभा के सम्मुख रखते हुए सदस्यों से आग्रह किया कि यदि किसी सदस्य को आपत्ति न हो तो गत बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट प्रदान की जाए। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा गत बैठक की कार्यवाही को सर्व-सम्मति से सम्पुष्टि प्रदान कर दी गई।

ज़िला ऋण योजना वर्ष 2004-2005 का अनुमोदन

अग्रणी ज़िला प्रबन्धक ने सदन के समक्ष ज़िला ऋण योजना वर्ष 2004-05 का प्रस्ताव रखा, जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा 120 करोड़ का अनुमोदन कर दिया गया, अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चूंकि भूमि विकास बैंक एवं ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक मृत प्राय: हो चुकी हैं, अत: वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं, उसे अन्य बैंकों के बीच समायोजित कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी हिदायत दी कि जल्द-से-जल्द अर्थात् 1.5.2004 तक हर हाल में वार्षिक ऋण योजना की किताब छपवाकर सम्बन्धित बैंकों/कार्यालयों के बीच वितरण कर दिया जाए।

वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2004-2005 का सफल कार्यान्वयन हेतु हेतु मई के द्वितीय सप्ताह में ज़िला स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दो दिन का कार्यशाला लगाना है, जिसमें सारे बैंकों के शाखा प्रबन्धक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला के आयोजन में जो भी खर्च होंगे आधा खर्चा अग्रणी ज़िला कार्यालय द्वारा एवं आधा खर्चा डी.आर.डी.ए द्वारा वहन किये जायेंगे।

अनुपालनः- अग्रणी बैंक कार्यालय, भभुआ

ज़िला ऋण योजना

ज़िला ऋण योजना वर्ष 2003-04 की उपलब्धि की समीक्षा के क्रम में अग्रणी ज़िला प्रबन्धक द्वारा बतलाया गया कि ज़िले की कुल 115 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध मार्च, 04 तक 90.44 करोड़ की उपलब्धि हुई, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र में 104 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध 81 करोड़ व ग़ैर प्राथमिकता क्षेत्र में 10.58 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध 918 लाख की उपलब्धि हासिल की गई जो क्रमशः 79 व 87 प्रतिशत है, जो कुल योजना की उपलब्धि लक्ष्य के विरूद्ध 79 प्रतिशत है।

अग्रणी ज़िला प्रबन्धक ने सदन को यह भी बतलाया कि ज़िला ऋण योजना में पंजाब नैशनल बैंक ने 125 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की, जबकि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक व भो०रो० ग्रा० बैंक द्वारा क्रमशः83, 70, 75, 75, 81 व 56 की उपलब्धि हासिल की गई।

अध्यक्ष महोदय ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि आगे भी इसी तरह की उपलब्धि बैंकों द्वारा बरकरार रखी जायेगी।

अनुपालनः-समस्त ज़िला समन्वयकों।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

अग्रणी ज़िला प्रबन्धक ने सभा को बताया कि इस योजना में माह मार्च, 04 तक भौतिक लक्ष्य 5691 के विरूद्ध 4073 भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि हासिल की गई, जो कुल लक्ष्य की उपलब्धि का 72 प्रतिशत है, जिसमें पंजाब नैशनल बैंक 106, भारतीय

स्टेट बैंक 88, बैंक ऑफ इण्डिया 55, बैंक ऑफ बड़ौदा 71 इलाहाबाद बैंक 59, केनरा बैंक 65 व मो0 रो0 ग्रा0 बैंक द्वारा 86 प्रतिशत की उपलब्धि की गई।

अध्यक्ष महोदय ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि वर्ष 2004-05 के वार्षिक ऋण योजना के विरुद्ध उपलब्धि शत-प्रतिशत होनी चाहिए। इसी सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि वह वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान जिले के समस्त बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणियों की सूची (एस.जी.एस.वाई., एस.जे.एस.आर.वाई., एस.एल.आर.पी., पी.एम.आर.वाई.) विवरण के रूप में 300 प्रतियों में शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करवाना है, जिसका आधा व्यय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं आधा अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

अनुपालन:-समस्त जिला समन्वयक व डी.आर.डी.ए

इन्टेन्सिव डेयरी डवलपमेंट प्रोग्राम

अग्रणी जिला प्रबन्धक ने सभा को बताया कि इस योजना में मार्च,04 तक भौतिक लक्ष्य 5496 के विरुद्ध 4461 की उपलब्धि हासिल की गई, जो कुल लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 81 प्रतिशत है तथा पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व ग्रामीण बैंक की उपलब्धि क्रमशः 105, 80 व 70 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया ।

अनुपालन:-समस्त जिला समन्वयक।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

इस योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा द्वारा बैंकों की शाखाओं में कुल 272 लक्ष्य के विरुद्ध 370 आवेदन प्रायोजित किये जा चुके हैं।

अग्रणी जिला प्रबन्धक ने सूचित किया कि कुल भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध 207 आवेदनों की स्वीकृति बैंकों द्वारा प्रदान की गई है, जबकि 125 लाभार्थियों के दरम्यान 1.06करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। शेष स्वीकृत किये गये आवेदनों को शीघ्र ही वितरित किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना को बहुत ही गम्भीरता से लिया और कहा कि हर हाल में उपलब्धि शत-प्रतिशत हासिल कर ली जाए।

अनुपालन:-समस्त जिला समन्वयक व जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा।

सर्टीफिकेट केस (पी.डी.आर)

पी.डी.आर की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि केसों का पूरा विवरण बैंकवार/शाखावार तैयार करकर प्रशासन को उपलब्ध करवाना होगा तथा जिला प्रशासन द्वारा कम्प्यूटरीकृत डाटा तैयार किया जायेगा, जिसमें होनेवाले खर्च को सभी सम्बन्धित बैंक वहन करेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के क्रम में अग्रणी ज़िला प्रबन्धक ने बताया कि कुल भौतिक लक्ष्य 8900 के विरूद्ध ज़िले की कुल उपलब्धि 7841 रही, जोकि उपलब्धि 88 प्रतिशत है, जिसमें पंजाब नैशनल बैंक की उपलब्धि 120 प्रतिशत का है। अन्य बैंकों की उपलब्धि भी 60 प्रतिशत से अधिक रही, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक 103, बैंक ऑफ इण्डिया 77, बैंक ऑफ बड़ौदा 69, इलाहाबाद बैंक 78, केनरा बैंक 81, भो0रो0ग्रा0 बैंक 75 एवं ज़ि0 के0 सह0 बैंक की उपलब्धि 62 प्रतिशत रही जोकि संतोष का विषय है।

अध्यक्ष महोदय ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि चूंकि कैमूर ज़िला कृषि प्रधान क्षेत्र है, अतः इसकी उपलब्धि शत-प्रतिशत होनी चाहिए।

अनुपालन:-समस्त ज़िला समन्वयक।

एस. जे. एस. आर. वाई/राष्ट्रीय सफाई मुक्ति एवं पुनर्वास §गरिमा§/
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम अनुदान योजना

उपरोक्त योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चूँकि अनुदान मद की राशि उपलब्ध नहीं है, अतः इनकी उपलब्धि शून्य है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा समाप्ति की घोषणा की गई।

अ. जी. प्र.

अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
कैमूर §भभुआ§

दिनांक 04.08.2004 डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिलाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में हुई DLCC की बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. जिलाधिकारी ने दिनांक 05.04.2004हुई DLCC की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा के कम में विभिन्न बैंकों की प्रगति अत्यंत निराशाजनक पाये जाने के कारण बैठक में विभिन्न बैंकों के कार्यकलापों पर खेद प्रकट करते हुए अनुपालन की दिशा में कारगर कार्रवाई करने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,भभुआ तथा कैमूर जिले में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों को निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबधंक,पंजाब नेशनल बैंक/ सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण,भभुआ।)

3. इस बैठक में विभिन्न इलाहाबाद बैंक तथा कैनरा बैंक के जिला समन्वयक (यथा इलाहाबाद बैंक दुर्गावती एवं कैनरा बैंक, केवा) उपस्थित नहीं थे। अग्रणी जिला प्रबंधक के प्रतिनिधि ने बताया कि सभी बैंकों को इस बैठक की विधिवत लिखित सूचना एवं दूरभाष द्वारा भी दे दी गयी थी, फिरभी बैठक में इनकी अनुपस्थिति अवांछनीय है। जिलाधिकारी ने निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर को निदेश दिया कि इन बैंकों के द्वारा अबतक की गयी प्रगति का उल्लेख करते हुए जिला समन्वयकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु इनके मुख्य महाप्रबंधक/अन्य वरीय पदाधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र लिखा जाय।

(अनुपालनः– निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जि0ग्रा0वि0अभि0कैमूर (भभुआ))

4. जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि बैकों की DLCC एवं DLRC की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुश्रवण हेतु जिलास्तर पर श्री आशीष कुमार, निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर रहेगें जो तत्परतापूर्वक बैठक की कार्यवाही के अनुपालन हेतु आवश्यक पत्राचार करेगें।

(अनुपालनः– निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जि0ग्रा0वि0अभि0कैमूर (भभुआ))

5. जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों की इस बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण क्षोभ प्रकट करते हुए बताया कि DLCC एवं DLRC की बैठक में विभिन्न बैंकों के कम से कम जोनल मैनेजर/रिजनल मैनेजर को भाग लेने का प्रावधान है। परन्तु मात्र पंजाब नेशनल बैंक के वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक को छोड़कर किसी भी बैंक के वरीय पदाधिकारी इस बैठक में पूर्व सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं हैं जो अत्यंत ही शर्मनाक स्थिति है। अतः कैमूर के अंतर्गत अवस्थित विभिन्न बैंकों (भरतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक) के वरीय पदाधिकारियों को भाग लेने हेतु पुनः अनुरोध करें ।

(अनुपालनः– निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जि0ग्रा0वि0अभि0कैमूर (भभुआ))

6. केन्द्र प्रयोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशल बैंक द्वारा तैयार किये गए योजनवार विवरणी से की गयी और 31 मार्च 2004 के बाद इस वित्तीय वर्ष 2004–05 में चार माह बीत जाने के बाद प्रगति नगण्य पाई गयी। इसके अनुसार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत उपलब्धि के जो ऑकड़ा [illegible]
उसमें 5691 के भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 931 आवेदनपत्र भेजे गए जिसमें 472 [illegible]
किए गए तथा मात्र 203 [illegible]
होता है। जिलाधिकारी ने [illegible]
हेतु पत्र का प्रारूप शीघ्र [illegible]

इस बैठक में उप[illegible]
क्षोभ व्यक्त किया। पंजाब [illegible]ल बैंक के

असंतोषजनक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में प्रगति लाने हेतु मेगा कैम्प अगस्त या सितम्बर माह में आयोजित किया जाय और उसमें वृहद एवं बड़े पैमाने पर आवेदनपत्र प्राप्त करके परिसम्पत्तियों का वितरण लाभान्वितों को शिविर में ही किया जाय।

इसप्रकार विचार विमर्श के उपरान्त एवं बैठक में उपस्थित नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के समक्ष जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों की राय से बैंकवार निम्नप्रकार मेगा कैम्प आयोजन करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी:-

क्रमांक	बैंक का नाम	कैम्प आयोजन स्थल	दिनांक
1	पंजाब नेशनल बैंक	जगजीवन स्टेडियम,भभुआ मेगाकैम्प	03.09.2004
2	भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक	जगजीवन स्टेडियम,भभुआ मेगाकैम्प	08.09.2004
3	भरतीय स्टेट बैंक	जगजीवन स्टेडियम,भभुआ मेगाकैम्प	18.09.2004
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	जगजीवन भवन,मोहनियां	31.08.2004
5.	बैंक ऑफ बड़ोदा	मोहनियां प्रखण्ड अंतर्गत दादर ग्राम में।	09.08.2004

इलाहाबाद बैंक एवं कैनरा बैंक के कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण कैम्प आयोजन के लिए तिथि निर्धारित नहीं हो सकी।

(अनुपालनः- अग्रणी जिला प्रबधंक,पंजाब नेशनल बैंक/ सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर-रोहतास ग्रामीण,भभुआ।)

7. जिलाधिकारी ने बताया कि अगले माह 02 सितम्बर को यह बैठक पुनः आयोजित की जायेगी जिसमें विभिन्न के प्रगति की सघन समीक्षा की जायेगी।

8. जिलाधिकारी ने पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूह का बैंक में खाता खोलने तथा उन्हें परिक्रमी निधि उपलब्ध कराकर उन्हें उक्त आयोजित शिविर में वित्तपोषित करने का निदेश दिया ।

9. अगली बैठक में MSTP के लाभान्वितों की बैंक शाखावार सूची के साथ सभी बैंकों के जिला समन्वयक, अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय प्रबंधक, भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक निश्चित रूप से भाग लेगें। जिले में सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर MSTP के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर वितरित करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जो आवेदनपत्र प्राप्त हो रहे हैं उनपर आवश्यक कार्रवाई तिव्रतापूर्वक करते हुए उन्हें एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत एवं वितरित करना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में एक पत्र भी सभी बैंकों के जिला समन्वयकों एवं सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को अविलंब लिखा जायं ।

(अनुपालनः- अग्रणी जिला प्रबधंक,पंजाब नेशनल बैंक/ सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर-रोहतास ग्रामीण,भभुआ/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,)

आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु बैंक के पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इसके लिए प्रखण्ड/बैंक शाखा के स्तर पर शिविर लगाकर Land position की जांच एवं Documentation करें । साथ ही MSTP एवं SGSY के अंतर्गत आवेदन अग्रणी जिला प्रबंधक/विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक एवं संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से समन्वय कर आवेदनपत्र प्राप्त करेगें तथा इस कार्य का अनुश्रवण संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी स्वयं करेगें।

10. उपर्युक्त निर्धारित ऋण वितरण शिविर में जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 60 प्रतिशत् उपलब्धि हो जाय इसे सुनिश्चित किया जाय।

11. प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों का विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण जिलास्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रशिक्षण के लिए दक्ष प्रशिक्षक को बुलाया जाय। यह प्रशिक्षण विकास भवन में चलाया जायेगा।

12. किसान केडिट कार्ड के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सितम्बर 2004 तक निर्धारित लक्ष्य के शत् प्रतिशत् प्राप्ति सुनिश्चित किया जाय।

13 SGRY ऋण–सह–अनुदान आवास योजना की समीक्षा के कम में उपलब्धि शून्य पायी गयी। इस योजना के तहत 10,000/–रूपये का अनुदान है। इसके तहत आवेदनपत्र भेजे जा रहे हैं तथा 10,000/–रूपये की अनुदान राशि भी सभी प्रखण्डों को भेजी जा रही है। इस लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वित कराने हेतु निर्णय लिया गया ।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक/ सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण,भभुआ।)

14. विशेष अंगीभूत योजना के संबंध में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 1.50 करोड़ रूपये इस मद में प्राप्त हैं जिसे सभी प्रखण्डों को दिया गया है। इसका कल्याण मंत्रालय से प्राप्त मार्गनिर्देश को सभी बैंकों को उपलब्ध कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया । सभी उपस्थित बैंक के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि SGSY की तरह ही इसमें भी मार्गदर्शिका के अनुरूप लक्ष्य वर्ग के अनुसूचित जाति के लाभान्वितों का आवेदनपत्र प्राप्त कर कार्यान्वयन किया जाय।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक/ सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण,भभुआ एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

Manjendra 6.8.2004

जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0– 884 /जि0ग्रा0वि0अ0 भभुआ दिनांक 06.08.2004./11-8-2004

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी,भभुआ/मोहनियां/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Manjendra 6.8.2004

जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0 884 / जि0ग्रा0वि0अ0, भभुआ दिनांक 06.08.2004./11-8-2004

प्रतिलिपि आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न बैंकों के पटना में अवस्थित वरीयतम पदाधिकारियों को अपने स्तर से कारगर एवं ठोस कार्रवाई हेतु लिखने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि सरकार के सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यकम कियान्वयन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न बैंकों के पटना में अवस्थित वरीयतम पदाधिकारियों को अपने स्तर से कारगर एवं ठोस कार्रवाई हेतु लिखने की कृपा की जाय।

Manjendra 6.8.2004

जिलाधिकारी,कैमूर।

दिनांक 08.10.2004 डॉ0वी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिलाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में हुई DLCC की बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न ।

2. जिलाधिकारी ने दिनांक 04.08.2004 हुई DLCC की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा बिन्दूवार की गयी ।

3. सर्वप्रथम इस बैठक में जिलास्तर के पदाधिकारियों पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। ये पदाधिकारी– जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर, जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी,रोहतास–सह–कैमूर, जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर।

एलाहाबाद बैंक के जिला समन्वयक भी अनुपस्थित थे। ये विगत बैठक में भी अनुपस्थित थे। अध्यक्ष, भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, भोजपुर (आरा) विगत एक वर्ष में एक बार भी DLCC की बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। इनके अतिरिक्त कैमूर जिला में अवस्थित सभी बैंकों के Regional एवं Zonal पदाधिकारियों को नियमानुसार इस बैठक में नियमित एवं निश्चित रूप से भाग लेना है। परन्तु भारतीय स्टेट बैंक के प्रक्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक, केनारा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया तथा पुनः इन बैंकों के वरीय पदाधिकारियों को इस बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया जाय। इस तथ्य से प्रमण्डलीय आयुक्त महोदय एवं सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार सरकार को इस अनुरोध के साथ अवगत कराने का निर्णय लिया गया कि भवदीय स्तर से विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाय।

4. विगत बैठक में DLCC एवं DLRC के बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुश्रवण हेतु दायित्व श्री आशीष कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, DRDA कैमूर को सौंपा गया था। परन्तु विगत बैठक की में लिए गए निर्णयों का अनुश्रवण उनके द्वारा अवतक नहीं किया गया है तो अत्यंत खेद एवं निराशाजनक स्थिति है। श्री कुमार अपना स्पष्टीकरण इस विन्दू पर देगें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाय।

अनुपालनः–उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जि0 ग्रा0 वि0 अभि0 कैमूर (भभुआ)।

5. विगत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सभी बैंकों ने निर्धारित तिथि को ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उपलब्धि निम्नवत रहीः– (राशि हजार में)।

बैंक का नाम।	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4
पंजाब नेशनल बैंक	345075	204319	59
भारतीय स्टेअ बैंक	241730	132875	55
बैंक ऑफ इण्डिया	88475	28312	32
बैंक ऑफ बड़ौदा	65345	27445	42
इलाहाबाद बैंक	19360	9099	47
केनरा बैंक	23325	10263	44
भो.रो.ग्रामीण बैंक	420745	126244	30
जि. केन्द्रीय सहकारी बैंक	–	–	–
भूमि विकास बैंक	–	–	–
योगः–	1204055	538537	45

Rajendra

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि वार्षिक कार्य योजना 2004-05 के अनुरूप बैंकों ने 88 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल कर चुकी है। यह एक सराहनीय प्रयास है और सभी बैंकों के प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। इसमें शतप्रतिशत उपलब्धि करने वाले बैंकों के शाखा प्रबंधकों की सूची उपलब्ध कराई जाय ताकि उनके सराहनीय कार्य हेतु अलग से प्रशंसा पत्र जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जा सके एवं औसत से नीचे उपलब्धि वाले बैंक के शाखा प्रबंधकों की सूची भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों अनुशंसा प्रेषित किया जा सके।

(अनुपालन—अग्रणी जिला प्रबंधक/सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक, [illegible]-रोहतास ग्रामीण,भभुआ।)

6. बैठक में उपस्थित श्री अजीत नन्दन साने, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना ने अत्यंत महत्वपूर्ण चार बिन्दुओं पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जो निम्नवत है:-

(i) कृषि के क्षेत्र में पूर्व से निर्धारित लक्ष्य 30 प्रतिशत बढ़ाया गया है जिसके अनुरूप सभी बैंकों को अपने लक्ष्य का पुनर्निर्धारण करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक पत्र उपस्थापित किया जाय। इसीके अनुसार वार्षिक कार्य योजना में पुनरीक्षण कर कैमूर जिला के सभी बैंकों संसूचित कर दिया जाय। श्री साने ने यह भी काफी बल देकर कहा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उच्चस्तर पर इसकी समीक्षा प्रत्येक माह की जा रही है, अतः पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत उपलब्धि सभी बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ii) जो किसान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ से अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हुए क्षेत्र में है तो उनके पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित किया जाय। सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने बैंकों से इसकी सूचना प्राप्त कर जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रेषित करेंगें।

(iii) कृषि लघु एवं सीमान्त कृषकों की एक मुश्त समायोजन की योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो लागू की गयी है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा श्री साने ने की। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसके लिए कार्य योजना बनाकर व्यापक प्रचार-प्रसार आम जनता में कराया जाय। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से सभी मुखिया, प्रमुख, एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को पत्र देकर पंचायत से लेकर गाँवस्तर के लोगों को भी इस योजना के संबंध में जानकारी दी जाय। यह योजना 31 दिसम्बर तक ही है जिसमें मात्र ढाई माह का समय बचा हुआ है। अतः एक सप्ताह के अंदर इसके लिए कार्य योजना तैयार कर अग्रणी जिला प्रबंधक कर निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगें। चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गनिर्देश अंग्रेजी में निर्गत है जिसको आम जनता को समझ पाना कठिन है, अतः इसके सरलीकरण हेतु हिन्दी के सरल भाषा में पम्पलेट/हैण्डबिल छपवाकर सभी संबंधित बैंक अपने-अपने बैंक के ऋणियों के बीच वितरित करवाना सुनिश्चित करें । दिनांक 31.03.2001 तक लघु एवं समान्त कृषक के नाम Out Standing ऋण का समायोजन करना है।

(iv) अगर कोई किसान निजी श्रोत से साहूकारी की पेशा करने वाले से ऋण लिया है तो उस ऋण को देने के लिए भी बैंक ऋण स्वीकृत करेगा । इस योजना के लिए भी सरल भाषा में पम्पलेट/हैण्डबिल छपवाकर आम जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि बैंक की इस योजना से जिले की आम जनता वाकिफ हो सके। प्रचार-प्रसार पर होनेवाले व्यय संबंधित बैंकों के द्वारा वहन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा 82 योजनाओं की Model Scheme की CD श्री साने ने बैठक में उपलब्ध कराया । इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इस CD का Hard Copy निकलवाकर इसको बुकशेप में तैयार कर सभी शाखा प्रबंधकों को भेज दिया जा

(अनुपालनः- अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

7. वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप जो भी ऋण वितरण किया है उसका लाभार्थीवार सूची कम्प्युटराइज करवाकर शाखावार 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दिया जाय ताकि जिलास्तर से पदाधिकारियों की टीम गठित कर उसका भौतिक सत्यापन कराया जा सके।

(अनुपालनः- अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

8. पुनरीक्षित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 24.11.2004 को जगजीवन स्टेडियम, भभुआ में कैमूर जिला में अवस्थित सभी बैंक के समेकित सहयोग से एक वृहद् ऋण वितरण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन में सभी बैंक का स्टॉल अलग–अलग स्थापित रहेगा । इस ऋण वितरण शिविर में उपलब्धि कम से कम 90 प्रतिशत् सुनिश्चित कर ली है। इसके लिए अभी से व्यापक पैमाने पर सभी बैंकों के स्तर पर तैयारी प्रारम्भ कर दी जाय। इस कैम्प में श्री अजीत नरहर ताम्बे, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड को निश्चित रूप से भाग लेने हेतु अनुरोध किया गया।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

8. DLCC की अगली बैठक दिनांक 08.11.2004 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया जिसमें दिनांक 24.11.2004 को सभी बैंकों के सहयोग से आयोजित होनेवाले वृहद् ऋण वितरण शिविर की शत्प्रतिशत् सफलता के बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जायेगी। जनहित के कार्यों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए DLCC की विशेष बैठक प्रत्येक माह आयोजत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

9. अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा बैठक में समीक्षा के लिए MSTP योजनान्तर्गत प्रस्तुत ऑकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निर्धारित लक्ष्य 10992 के विरूद्ध प्राप्त आवेदनपत्रों की स्वीकृति में 357 का अंतर है तथा स्वीकृत आवेदनपत्रों के विरूद्ध ऋण वितरण में 1911 अंतर है। अग्रणी जिला प्रबंधक इस ऑकड़े को स्पष्ट करेगें।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबधंक,पंजाव नेशनल बैंक)।

10. PMRY योजनान्तर्गत समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सही ढंग से बैंकों में ऋण आवेदनपत्र नहीं भेजा जा रहा है। इनके कार्यकलाप पर खेद प्रकट करते हुए इन्हें बैंकों में पर्याप्त आवेदन भेजने तथा बैंक शाखाओं में घूम–घूम कर उसकी स्वीकृति कराने का दायित्व सौंपा गया। इनकी अवतक की असंतोषप्रद प्रगति के लिए इनके विरूद्ध निदेश उद्योग को Report भेजने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेश,लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन)।

11. निलामपत्र वाद (PDR) की समीक्षा के कम में जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ–साथ सभी बैंकों के जिला समन्वयकों अवगत कराया गया कि जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर PDR के वादों को बैंकवार एवं शाखावार सूचीवद्ध कर लिया गया है। अव इसमें आवश्यकता है कि सभी बैंकों पास संधारित पंजी से जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर संधारित मॉस्टर पंजी से इसका मिलान कर लिया जाय तथा बैंकवार सभी अभिलेखों के लिए Title Page छपवाकर सभी अभिलेखों में लगवाने हेतु कार्रवाई जिला स्तर से की जा रही है परन्तु इसपर होनेवाले व्यय का वहन संवंधित बैंकों के द्वारा किया जायेगा। इस विन्दूपर बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के जिला समन्वयकों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जिलास्तर से इसे छपवाकर इसका विपत्र भुगतान हेतु भेज दिया जाय।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेश,लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन)।

12. किसान केडिट कार्ड के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सितम्वर 2004 तक निर्धारित लक्ष्य के शत् प्रतिशत् प्राप्ति सुनिश्चित किया जाय।

13 SGRY ऋण–सह–अनुदान आवास योजना की समीक्षा के कम में उपलब्धि 52 प्रतिशत दिखाई जा रही है। यह सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, अतः इसे लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वित कराने हेतु निर्णय लिया गया ।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबधंक,/सभी बैकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक, की.आर.जी.बी.।)

14. विशेष अंगीभूत योजना के संबंध में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 1.50 करोड़ रूपये इस मद में प्राप्त है जिसे सभी प्रखण्डों को दिया गया है। इसका कल्याण मंत्रालय से प्राप्त मार्गनिर्देश को सभी बैंकों को उपलब्ध कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया । सभी उपस्थित बैंक के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि SGSY की तरह ही इसमें भी मार्गदर्शिका के अनुरूप लक्ष्य वर्ग के अनुसूचित जाति के लाभान्वितों का आवेदनपत्र प्राप्त कर कार्यान्वयन किया जाय। इस योजना के तहत कोई प्रगति नहीं है। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन हेतु विशेष बल दिया गया

(अनुपालन– अग्रणी जिला प्रबंधक/सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,बी.आर.जी.बी. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

15. विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित ऋण वितरण शिविर में वितरित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियाँ यथा– ट्रैक्टर, पम्पसेट, स्प्रेयर आदि की संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर प्रमण्डल, भभुआ को देने का निर्णय लिया गया ताकि इन सामानों आपूर्तिकर्त्ताओं से विक्रीकर की वसूली हो सके।

(अनुपालन– अग्रणी जिला प्रबंधक/सभी बैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,बी.आर.जी.बी. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

Rajendra 9.10.2004
जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0– 1145 /जि0ग्रा0वि0अ0 भभुआ दिनांक ~~09.10.2004~~ 12-10-2004

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी,भभुआ/मोहनियां/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Rajendra 9.10.2004
जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0 1145 / जि0ग्रा0वि0अ0, भभुआ दिनांक ~~09.10.2004~~ 12-10-2004

प्रतिलिपि आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न बैंकों के पटना में अवस्थित वरीयतम पदाधिकारियों को अपने स्तर से कारगर एवं ठोस कार्रवाई हेतु लिखने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि सरकार के सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न बैंकों के पटना में अवस्थित वरीयतम पदाधिकारियों को अपने स्तर से कारगर एवं ठोस कार्रवाई हेतु लिखने की कृपा की जाय।

Rajendra 9.10.2004
जिलाधिकारी,कैमूर।

9/10/04

परिशिष्ट–'क'

दिनांक 08.09.2004 को जिला परामर्शदातृ समिति की विशेष बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	उपस्थिति
1	2	3	4
1	डॉ० बी०राजेन्दर,भा.प्र.से.	जिलाधिकारी,कैमूर एवं अध्यक्ष	"
2.	श्री रामशोभित पासवान	उप विकास आयुक्त, कैमूर (भभुआ)	"
3.	वाई०आर० मिश्र	मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय,पंजाब नेशनल बैंक,आरा।	"
4	श्री अजीत नरहर ताम्बे	सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पांचवी मंजिल मौर्य लोक, पो०बॉ० नं० 178, पटना।	"
5	रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि		अनुपस्थित
6	श्री विनय कुमार सिंह	अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
7	श्री बेनी माधव सिंह	क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, भभुआ	"
8	श्री रमेश कुमार	जिला समन्वयक, भारतीय स्टेट बैंक (कृषि विकास शाखा), भभुआ	"
9	श्री अनुज कुमार सिंह	जिला समन्वयक, बैंक ऑफ बड़ोदा, मोहनियां।	"
10	श्री अशोक कुमार गर्ग	जिला समन्वयक,बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ।	"
11	श्री प्रभात किरण	जिला समन्वयक, केनरा बैंक, केवां	"

दिनांक 09.11.2004 डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिलाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में हुई DLCC की बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न ।

2. बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित वृहद् ऋण वितरण शिविर मे हुई अच्छी प्रगति के लिए सभी बैंक पदाधिकारियों को बधाई देते जिलाधिकारी ने दिनांक 08.10.2004 हुई DLCC की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा विन्दूवार की गयी ।

3. सर्वप्रथम इस बैठक मे जिलास्तर के पदाधिकारियों पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। ये पदाधिकारी– जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर, जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी,रोहतास–सह–कैमूर, जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर, ।

इलाहाबाद बैंक के जिला समन्वयक श्री अमरेश कुमार, उपस्थित थे। अध्यक्ष, भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, भोजपुर (आरा) विगत एक वर्ष में एक बार भी DLCC की बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं परन्तु उनके महाप्रबंधक, भेजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा श्री अर्जुन सिंह इस बैठक में उपस्थित हुए। इनके अतिरिक्त कैमूर जिला में अवस्थित सभी बैंकों के Regional एवं Zonal पदाधिकारियों को नियमानुसार इस बैठक में नियमित एवं निश्चित रूप से भाग लेना है। भरतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक, श्री महीप कुमार को छोड़कर अन्य किसी बैंक के वरीय पदाधिकारी यथा– बैंक ऑफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक, कैनारा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया तथा पुनः इन बैंकों के वरीय पदाधिकारियों को इस बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुरोध करने हेतु निर्णय लिया गया। इस तथ्य से प्रमण्डलीय आयुक्त महोदय एवं सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार सरकार को इस अनुरोध के साथ अवगत कराने का निर्णय लिया गया कि भवदीय स्तर से विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाय।

4. विगत बैठक में DLCC एवं DLRC के बैठक में लिये गए निर्णयो के अनुश्रवण हेतु दायित्व श्री आशीष कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, DRDA कैमूर को सौंपा गया था। परन्तु विगत बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुश्रवण उनके द्वारा अवतक नहीं किया गया है तो अत्यंत खेद एवं निराशाजनक स्थिति है। श्री कुमार अपना स्पष्टीकरण इस विन्दू पर देगें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाय।
अनुपालनः–उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जि0 ग्रा0 वि0 अभि0 कैमूर (भभुआ)।

5. विगत बैठक में श्री अजीत नरहर ताम्बे, सहायक महाप्रबंधक, नावार्ड, पटना द्वारा उल्लिखित निम्नांकित चार विन्दुओं पर अनुपालन की समीक्षा की गयीः–

(i) वार्षिक कार्य योजना में कृषि के क्षेत्र में पूर्व से निर्धारित लक्ष्य में 30 प्रतिशत् की बढ़ोतरी किये जाने के विन्दू पर अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर ने बताया कि राज्यस्तरीय बैंकर्स (SLBC) की बैठक में इस विन्दू पर विचार करने के उपरान्त कैमूर जिला का लक्ष्य पूर्ववत रखा गया है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) जो किसान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ से अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से घीरे हुए क्षेत्र में है तो उनके पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित किया जाय। सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने बैंकों से इसकी सूचना प्राप्त कर जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ

Rajender

-

प्रेषित करेगें। इस संबंध में अनुपालन नहीं किया गया है इसका शीघ्र अनुपालन करने हेतु निदेश दिया गया।

(iii) लघु एवं सीमान्त कृषकों की सुविध के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित एक मुस्त ऋण समायोजन की योजना के कार्यान्वयन एवं इसका आम जनता में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विगत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन के कम में स्पष्ट हुआ कि बैंकों द्वारा इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। जिलाधिकारी ने इसपर खेद व्यक्त करते हुए पुनः निदेश दिया कि अधोहस्ताक्षरी की ओर से सभी मुखिया, प्रमुख, एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को पत्र देकर पंचायत से लेकर गॉवस्तर के लोगों को भी इस योजना के संबंध में जानकारी दी जाय। यह योजना 31 दिसम्बर तक ही है जिसमें मात्र डेढ़ माह का समय बचा हुआ है। अतः एक सप्ताह के अंदर इसके लिए कार्य योजना तैयार कर अग्रणी जिला प्रबंधक कर निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगें। चुँकि भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गनिर्देश अंग्रेजी में निर्गत है जिसको आम जनता को समझ पाना कठिन है, अतः इसके सरलीकरण हेतु हिन्दी के सरल भाषा में पम्पलेट/हैण्डविल छपवाकर सभी संबंधित बैंक अपने–अपने बैंक के ऋणियों के बीच वितरित करवाना सुनिश्चित करें । दिनांक 31.03.2001 तक लघु एवं समान्त कृषक के नाम Out Standing ऋण का समायोजन करना है।

(iv) साहूकारी की पेशा करने वाले से लिये गए ऋण चूकाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त उसे चूकाने की योजना पर भी कोई कारगर कार्रवाई बैंकों द्वारा नहीं किया गया है जो चिन्ता एवं खेद का विषय है। इस योजना के लिए भी सरल भाषा में पम्पलेट/हैण्डविल छपवाकर आम जनता के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि बैंक की इस योजना से जिले की आम जनता वाकिफ हो सके। प्रचार–प्रसार पर होनेवाले व्यय संबंधित बैंकों के द्वारा वहन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा 82 योजनाओं की Model Scheme की श्री ताम्बे द्वारा विगत बैठक में उपलब्ध करायी गयी CD के संबंध में लिये गए निर्णय के अनुपालन के संबंध में भी अभीतक अपेक्षित अनुपालन नहीं हुआ है। इस CD का Hard Copy निकलवाकर इसको बुकशेप में तैयार कर सभी शाखा प्रवंधकों को शीघ्र भेज कर अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

7. वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप जो भी ऋण वितरण किया है उसका लाभार्थीवार सूची कम्प्युटराइज करवाकर शाखावार 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दिया जाय ताकि जिलास्तर से पदाधिकारियों की टीम गठित कर उसका भौतिक सत्यापन कराया जा सके। अनुपालन अप्राप्त है। अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रवंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

8. वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से दिनांक 24.11.2004 को जगजीवन स्टेडियम, भभुआ में कैमूर जिला में अवस्थित सभी बैंक के समेकित सहयोग से एक बृहद् ऋण वितरण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन में सभी बैंक का स्टॉल अलग–अलग स्थापित करने का निर्णय लिया गया । इस ऋण वितरण शिविर में उपलब्धि कम से कम शतप्रतिशत् सुनिश्चित कर लेना है। इसके लिए अभी से व्यापक पैमाने पर सभी वैंकों के स्तर पर तैयारी प्रारम्भ कर दी जाय।

इस संबंध में बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ़ के शाखा प्रबंधक ने रामगढ़ से एसेट वितरण हेतु भभुआ में आयोजित ऋण वितरण शिविर में लाने में होनेवाली कठिनाईयों के मद्‌देनजर उन्होंने रामगढ़ में ही बैंक इण्डिया का ऋण वितरण शिविर आयोजित करने हेतु सुझाव दिया। इनके सुझाव के आलोक में रामगढ़ में ऋण वितरण शिविरि आयोजित करने की अनुमति दी गयी।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रवंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

8. इस बैठक में दिनांक 24.11.2004 को सभी बैंकों के सहयोग से आयोजित होनेवाले वृहद ऋण वितरण शिविर की शतप्रतिशत सफलता के बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा के उपरान्त आगामी बिहार विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी बैंक के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,पटना, वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, आरा, महाप्रबंधक, भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, एलाहाबाद बैंकए कैनरा बैंक के जिला समन्वयकों द्वारा सुयुक्त रूप से आगामी बिहार विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप शतप्रतिशत उपलब्धि दिनांक 24.11.2004 को आयोजित ऋण वितरण शिविर में करने का अश्वासन दिया गया ।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

9. MSTP योजनान्तर्गत प्रगति के समीक्षा के कम में बैंकवार उपलब्धि का आँकड़ निम्नप्रकार पाया गयाः–

बैंक का नाम	भौतिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदनों की सं0	वितरित आवेदन		अनुदान (राशि–हजार में)	प्रतिशत
				संख्या	ऋण राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब नेशनल बैंक	2000	1969	1710	1061	12732	9549	85.5
भारतीय स्टेट बैंक	0958	0920	0850	0719	12128	6471	88.72
बैंक ऑफ इण्डिया	0508	0267	0267	0121	01536	01089	52.55
बैंक ऑफ बड़ौदा	0445	0127	0109	0064	01064	0576	24.49
इलाहाबाद बैंक	0131	0052	0048	0043	00697	0387	36.64
केनरा बैंक	0128	0061	0061	0046	0736	0414	47.65
भे.रो.ग्रा.बैंक	2338	1778	1754	0995	23640	8955	75.02
योगः–	6508	5174	4799	3049	52533	27441	73.74

अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को निदेश दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये गए लाभान्वितों की सूची बैंकवार एवं प्रखण्डवार शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु विगत बैठक में ही निदेश दिया गया था परन्तु अभीतक यह सूची प्राप्त नहीं होना अत्यंत ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने बैठक में रेखांकित किया कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि बैंकों से अनुदान की राशि पुराने बोरिंग को ही नया दिखाकर आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों द्वारा बैंक की मिलीभगत से ली जा रही है। इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक जॉचोपरान्त स्थिति स्पष्ट करेंगें।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबधंक,पंजाब नेशनल बैंक)।

10. PMRY योजनान्तर्गत समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि 378 आवेदनपत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गए है। इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंध द्वारा समर्पित ऑकड़ा के अनुसार मात्र 221 आवेदनपत्रों पर ही कार्रवाई की गयी है शेष 157 आवेदनपत्रों को बैंक द्वारा लौटा दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया कि पुनः सही ढंग से बैंकों में पर्याप्त ऋण आवेदनपत्र बैंकों में भेजना सुनिश्चित करें तथा बैंक शाखाओं में घूम–घूम कर उसकी स्वीकृति हेतु आवश्यक पहल सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योगकेन्द्र)।

11. निलामपत्र वाद (PDR) की समीक्षा के कम में जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ–साथ सभी बैंकों के जिला समन्वयकों अवगत कराया गया कि जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर PDR के वादों को बैंकवार एवं शाखावार सूचीवद्ध कर लिया गया है। अव इसमें आवश्यकता है कि सभी बैंकों पास संधारित पंजी से जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर संधारित मॉस्टर पंजी से इसका मिलान कर लिया जाय तथा बैंकवार सभी अभिलेखों के लिए Title Page छपवाकर सभी अभिलेखों में लगवाने हेतु कार्रवाई जिला स्तर से की जा रही है परन्तु इसपर होनेवाले व्यय का वहन संवंधित बैंकों के द्वारा

किया जायेगा। इस विन्दूपर बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के जिला समन्वयकों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जिलास्तर से इसे छपवाकर इसका विपत्र भुगतान हेतु भेज दिया जाय।
(अनुपालन— उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेश लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन)।

12. किसान केडिट कार्ड के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि जिले में सुखाड़ के मद्देनजर इस योजना पर व्यक्तिगत अभिरूची लेकर अधिक से अधिक किसान केडिट कार्ड निर्गत किया जाय।निर्धारित लक्ष्य के शत् प्रतिशत् प्राप्ति सुनिश्चित किया जाय।

13 SJRY ऋण—सह—अनुदान आवास योजना की समीक्षा के कम में उपलब्धि नगण्य दिखाई जा रही है। यह सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, अतः इसे लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वित कराने हेतु निर्णय लिया गया ।
(अनुपालनः— अग्रणी जिला प्रबधंक,/सभी बैकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक, की.आर.जी.बी.।)

14. विशेष अंगीभूत योजना के संवंध में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने वताया कि 1.50 करोड़ रूपये इस मद में प्राप्त हैं जिसे सभी प्रखण्डों को दिया गया है। इसका कल्याण मंत्रालय से प्राप्त मार्गनिर्देश को सभी बैंकों को उपलब्ध कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया । सभी उपस्थित बैंक के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि SGSY की तरह ही इसमें भी मार्गदर्शिका के अनुरूप लक्ष्य वर्ग के अनुसूचित जाति के लाभान्वितों का आवेदनपत्र प्राप्त कर कार्यान्वयन किया जाय। इस योजना के तहत कोई प्रगति नहीं है। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन हेतु विशेष बल दिया गया ।
(अनुपालनः— अग्रणी जिला प्रबधंक/सभी बैकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,वी.आर.जी.वी. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

15. विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित ऋण वितरण शिविर में वितरित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों यथा— ट्रैक्टर, पम्पसेट, स्प्रेयर आदि की संवंध में विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर प्रमण्डल, भभुआ को देने का निर्णय लिया गया ताकि इन सामानों आपूर्तिकर्त्ताओं से विकीकर की वसूली हो सके। इस संवंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
(अनुपालन— अग्रणी जिला प्रबधंक/सभी बैकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रबंधक,वी.आर.जी.बी. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

ह0/—
जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0— 1297 /जि0ग्रा0वि0अ0 भभुआ दिनांक 15.11..2004.
प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी,भभुआ/मोहनियां/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी बैकों के शाखा प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Rajendra 15.11.2004
जिलाधिकारी,कैमूर

किया जायेगा। इस बिन्दूपर बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के जिला समन्वयकों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जिलास्तर से इसे छपवाकर इसका विपत्र भुगतान हेतु भेज दिया जाय।
(अनुपालन– उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेश लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन)।

12. किसान केडिट कार्ड के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि जिले में सुखाड़ के मद्देनजर इस योजना पर व्यक्तिगत अभिरूची लेकर अधिक से अधिक किसान केडिट कार्ड निर्गत किया जाय।निर्धारित लक्ष्य के शत् प्रतिशत् प्राप्ति सुनिश्चित किया जाय।

13 SJRY ऋण–सह–अनुदान आधारा योजना की समीक्षा के कम में उपलब्धि नगण्य दिखाई जा रही है। यह सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, अतः इसे लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वित कराने हेतु निर्णय लिया गया ।
(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक/सभी बैंकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक, वी.आर.जी.वी.।)

14. विशेष अंगीभूत योजना के संबंध में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 1.50 करोड़ रूपये इस मद में प्राप्त हैं जिसे सभी प्रखण्डों को दिया गया है। इसका कल्याण मंत्रालय से प्राप्त मार्गनिर्देश को सभी बैंकों को उपलब्ध कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया । सभी उपस्थित बैंक के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि SGSY की तरह ही इसमें भी मार्गदर्शिका के अनुरूप लक्ष्य वर्ग के अनुसूचित जाति के लाभान्वितों का आवेदनपत्र प्राप्त कर कार्यान्चयन किया जाय। इस योजना के तहत कोई प्रगति नहीं है। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्चयन हेतु विशेष वल दिया गया ।
(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रवधंक/सभी वैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रवंधक,वी.आर.जी.वी. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

15. विभिन्न वैंकों द्वारा आयोजित ऋण वितरण शिविर में वितरित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों यथा– ट्रैक्टर, पम्पसेट, स्प्रेयर आदि की संवंध में विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर प्रमण्डल, भभुआ को देने का निर्णय लिया गया ताकि इन सामानों आपूर्त्तिकर्त्ताओं से विक्रीकर की वसूली हो सके। इस संवंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
(अनुपालन– अग्रणी जिला प्रवधंक/सभी वैंकों के जिला समन्वयक/ क्षेत्रीय प्रवंधक,वी.आर.जी.वी. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर।)

15/11/2004

जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0– /जि0ग्रा0वि0अ0 भभुआ दिनांक 15.11..2004.

प्रतिलिपि वैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी,भभुआ/मोहनियां/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी वैंकों के शाखा प्रवंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेपित।

15/11/2004

जिलाधिकारी,कैमूर

ज्ञाप सं0 1297 / जि0ग्रा0वि0अ0, भभुआ दिनांक 15.11..2004.

प्रतिलिपि आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न वैंकों के पटना में अवस्थित वरीयतम पदाधिकारियों को अपने स्तर से कारगर एवं ठोस कार्रवाई हेतु लिखने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि सरकार के सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कियान्चयन विभाग, विहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित करते हुए अनुरोध है कि विभिन्न वैंकों के पटना में अवस्थित वरीयतम पदाधिकारियों को अपने स्तर से कारगर एवं ठोस कार्रवाई हेतु लिखने की कृपा की जाय।

15/11/2004

जिलाधिकारी,कैमूर।

परिशिष्ट–'क'

दिनांक 09.11.2004 को जिला परामर्शदातृ समिति की विशेष बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	उपस्थिति
1	2	3	4
1	डॉ0 बी0राजेन्दर,भा.प्र.से.	जिलाधिकारी,कैमूर एवं अध्यक्ष	"
2.	डॉ0 बी0राजेन्दर,भा.प्र.से.	उप विकास आयुक्त, कैमूर (भभुआ)	"
3	श्री आशीष कुमार	निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,कैमूर	अनुपस्थित
4.	श्री सुभाषचन्द्र सब्बरवाल	वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय,पंजाब नेशनल बैंक,आरा।	उपस्थित
5	श्री मरे0 एहतेशाम	उप– महाप्रबंधक, नाबार्ड, पांचवी मंजिल मौर्य लोक, पो0बॉ0 नं0 178, पटना।	"
6	श्री महीप कुमार	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पटना।	"
7	श्री अर्जुन सिंह	महाप्रबंधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा।	"
8	रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि		अनुपस्थित
9	श्री विनय कुमार सिंह	अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
10	श्री बेनी माधव सिंह	क्षेत्रीय प्रबंधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, भभुआ	"
11	श्री रमेश कुमार	जिला समन्वयक, भारतीय स्टेट बैंक (कृषि विकास शाखा), भभुआ	"
12	श्री नरेन्द्र कुमार	जिला समन्वयक, बैंक ऑफ बड़ोदा, मोहनियां।	"
13	श्री नवीन कुमार	जिला समन्वयक,बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ़।	"
14	श्री ललन प्रसाद	जिला समन्वयक, केनरा बैंक, केवां	"
15	श्री अमरेश कुमार	एलाहाबाद बैंक, दुर्गावती।	"
16	डॉ0 युगेश्वर प्रसाद,	सहायक निदेशक, पशुपालन, भभुआ	"
17	श्री मुद्रिका प्रसाद चौधरी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर	"

उपविकास आयुक्त
APR 2005
(भभुआ)

दिनांक 23.03.2005 को डॉ0 बी0राजेन्दर, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में हुई **DLCC** की बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की उपस्थिति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न।

2. बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व विभिन्न बैंको द्वारा आयोजित वृहद् ऋण वितरण शिविर में हुई अच्छी प्रगति के लिए सभी पदाधिकारियो को धन्यवाद देते हुए जिलाधिकारी ने दिनांक 09.11.2004 को हुई DLCC की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा विन्दूवार की गयी।

3. सर्वप्रथम् इस बैठक में जिलास्तर के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्तकरने का निर्णय लिया गया। ये पदाधिकारी– जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर, जिला मत्स्य पदाधिकारी, रोहतास–सह–कैमूर हैं।

बैंक के वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति के कम में जिलाधिकारी ने अध्यक्ष, भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, भोजपुर (आरा) की DLCC की बैठक में उपस्थिति के लिए बधाई दी । उनके साथ वरीष्ट प्रबंधक, भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक आरा श्री बक्सी एन.पी. सिंह इस बैठक में उपस्थित हुए। इनके अतिरिक्त बैंकों के क्षेत्रीय एवं प्रक्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस बैठक में भाग लेने की समीक्षा कम में स्पष्ट हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक के क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय प्रबंधकों की अनुपस्थित पर क्षोभ प्रकट किया गया तथा उनके वरीय पदाधिकारियों को बैठक में उन्हें भाग लेने हेतु निदेश देने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। इस तथ्य से प्रमण्डलीय आयुक्त महोदय एवं सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार सरकार तथा विकास आयुक्त महोदय को इस अनुरोध के साथ अवगत कराने का निर्णय लिया गया कि भवदीय स्तर से विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाय।

4. विगत बैठक में DLCC एवं DLRC के विगत तीन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुश्रवण हेतु दायित्व श्री आशीष कुमार, निदेश, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर को सौंपा गया था। परन्तु उनके द्वारा बैठक में दिये गए निदेशों का अनदेखी कर अनुश्रवण नहीं किया गया है जो अत्यंत खेद एवं निराशाजनक स्थिति है। श्री कुमार अपना स्पष्टीकरण इस विन्दू पर देगें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाय।
(अनुपालन उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जि0ग्रा0वि0अ0)।

1. दिनांक 08.10.2004 की बैठक में श्री अजीत नरहर ताम्बे, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना द्वारा उल्लिखित निम्नांकित चार विन्दुओं पर अनुपालन की समीक्षा की गयीः–

(i) वार्षिक कार्य योजना में कृषि के क्षेत्र में पूर्व से निर्धारित लक्ष्य में 30 प्रतिशत् की बढ़ोत्तरी किये जाने के विन्दू पर अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर ने बताया कि राज्यस्तरीय बैंकर्स (SLBC) की बैठक में इस विन्दू पर विचार करने के उपरान्त कैमूर जिला का लक्ष्य पूर्ववत रखा गया है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है परन्तु उनके द्वारा इस निर्णय के संबंध में SLBC की बैठक की कार्यवाही आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(ii) वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा घोषित योजना के अंतर्गत जो किसान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से घीरे हुए क्षेत्र के हैं तो उनके पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित किया जाय। सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने बैंकों से इसकी सूचना प्राप्त कर जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रेषित करेगें। इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकवार प्रतिवेदन दिया है जिसके अनुसार कैमूर जिला में अवस्थित पंजाब नेशनल बैंक में 490 ऋण खातों को पुनः संचरित किया गया है जिसमें 26803 हजार की राशि का Reschedule किया गया है। शेष किसी बैंक द्वारा यह ऑकड़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में शेष बैंक पदाधिकारियों के स्तर पर न तो कोई कार्रवाई की गयी प्रतीत होती है और न ही कोई अनुपालन प्रतिवेदन ही दिया गया । अतः इनके उच्चाधिकारी को इनके विरूद्ध पत्र लिखा जाय।

BRajender

(iii) लघु एवं सीमान्त कृषकों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित एक मुस्त समायोजन की योजना के कार्यान्वयन एवं इसका आम जनता में व्यापक–प्रचार–प्रसार हेतु दिनांक 08. 10.2004 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन के कम में स्पष्ट हुआ कि बैंकों द्वारा इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। जिलाधिकारी ने इसपर खेद व्यक्त करते हुए पुनः निदेश दिया कि अधोहस्ताक्षरी की ओर से सभी मुखिया, प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को पत्र देकर पंचायत से लेकर गाँवस्तर के लोगों को भी इस योजना के संबंध में जानकारी दी जाय। यह योजना 31 दिसम्बर तक ही है जिसमें मात्र डेढ़ माह का समय बचा हुआ है। अतः एक सप्ताह के अंदर इसके लिए कार्य योजना तैयार कर अग्रणी जिला प्रबंधक निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गनिर्देश अंग्रेजी में निर्गत है जिसको आम जनता को समझ पाना कठिन है, अतः इसके सरलीकरण कर स्थानीय भाषा हिन्दी में पम्पलेट/हैण्डबिल छपवाकर सभी संबंधित बैंक अपने–अपने बैंक के ऋणियों के बीच वितरित कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 31.03.2001 तक लघु एवं सीमान्त कृषक के नाम Out Standing ऋण का समायोजन करना है। जहाँतक इस विन्दू के अनुपालन का प्रश्न है, भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक द्वारा सरल भाषा में पम्पलेट छपवाकर नहीं भेजा गया है जो अत्यंत ही खेद जनक स्थिति है। अतः उन बैंकों के पदाधिकारियों विरुद्ध कार्रवाई हेतु बैंक के उच्चाधिकारी को लिखने का निर्णय लिया गया।

(iv) वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा घोषित महाजनों/साहूकारी की पेशा करने वाले से लिए गए ऋण चूकाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर उसे चूकाने की योजना के संबंध में मात्र पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कार्रवाई की गई है जिसके अनुसार कैमूर जिला में अवस्थित पंजाब नेशनल बैंक के विभिन्न शाखा द्वारा 312 ऐसे ऋणियों को 89.09 हजार रूपया नकद प्रदत्त किया गया है। परन्तु अन्य बैंकों द्वारा कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गयी है जो चिन्ता एवं खेद का विषय है। इस योजना के लिए भी स्थानीय हिन्दी भाषा में पम्पलेट/हैण्डबिल छपवाकर आम जनता के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि बैंक की इस योजना से जिले की आम जनता वाकिफ हो सके। प्रचार–प्रसार पर होनेवाले व्यय संबंधित बैंकों के द्वारा वहन किया जायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त है जिससे स्पष्ट होता है कि बैंक पदाधिकारियों के स्तर पर कोई सार्थक प्रयास इस योजना के लागू करने के प्रति नहीं किया गया है।

(v) इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा 82 योजनाओं की Model Scheme की श्री ताम्बे द्वारा दिनांक 08. 10.2004 की बैठक में उपलब्ध करायी गयी CD के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुपालन के संबंध में भी अभीतक अपनेक्षित अनुपालन नहीं हुआ है। इस CD का Hard Copy निकालवाकर इसको बुक शेप में तैयार कर सभी शाखा प्रबंधकों को शीघ्र भेज कर अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। इसके संबंध में भी कोई अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।
(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

श्री अजीत नरहर ताम्बे, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा विगत 08 माह पूर्व दिनांक 08.10. 2004 को आयोजित DLCC की बैठक में उल्लिखित उपर्युक्त विन्दुओं पर दिये गए निदेश के आलोक में इसके कार्यान्वयन पर समुचित कर्रावाई करने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक जो इस जिले के बैंकर्स का नोडल पदाधिकारी हैं को दायित्व सौंपा गया था परन्तु उनके द्वारा इस संदर्भ में कारगर कार्रवाई नहीं किये जाने से सभी बैंकों से इस संदर्भ में वाँछित आँकड़ प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ कैमूर जिला के विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों द्वारा भी इस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन के प्रति पूरी तत्परता एवं सचेष्टता नहीं दिखाई गयी है। अतः DLCC की बैठक में विगत 08 माह पूर्व लिये गए निर्णय का अनुपालन नहीं होने के कारण अग्रणी जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कैमूर (भभुआ) तथा अन्य विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों के विरूद्ध उनके उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया।
(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन)।

2. वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप जो भी ऋण वितरण किया गया है उसका लाभार्थीवार सूची कम्प्युटराईज करवाकर शाखावार उपलब्ध करा कराये जाने की विन्दु के समीक्षा कम में स्पष्ट हुआ कि विगत तीन DLCC की बैठकों के माध्याम से तथा उसके पूर्व से विगत कई सप्ताहिक बैठकों के माध्यम से विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गए लाभार्थियों की कम्प्युटराईज सूची उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निदेश दिया जाता रहा है परन्तु अभीतक इसका अनुपालन नहीं किया जाना अग्रणी जिला प्रबंधक एवं अन्य बैंकों के जिला समन्वयकों

के स्तर पर घोर लापरवाही एवं उनकी हठधर्मिता का परिचायक है। इस सूची के अभाव में बैंक द्वारा वितरित की गयी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अतः पुनः अग्रणी जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सभी बैंकों से समेकित रूप से इस सूची को प्राप्त कर पन्द्रह दिनों के अंदर उप विकास आयुक्त को सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सूची भेजने में विलंब के लिए अपना स्पष्टीकरण भी दें कि इस लापरवाही पूर्ण कार्य एवं DLCC की बैठक में दिये गए निदेशों के अवहेलना के लिए क्यों नहीं उनके वरीय पदाधिकारियों को उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी जाय।

(अनुपालन:— अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

3. वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप शतप्रतिशत् उपलब्धि सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दिनांक 24.11.2004 को जगजीवन स्टेडियम भभुआ में बैंकों द्वारा आयोजित ऋण वितरण शिविर में हुई अच्छी उपलब्धि के लिए सभी बैंक पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया ।

(अनुपालन:— अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

4. MSTP योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा के कम में बैंकवार उपलब्धि का आँकड़ा निम्नप्रकार पाया गया:—

बैंक का नाम	भौतिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदनों की सं0	वितरित आवेदन		अनुदान (राशि लाख में)	प्रतिशत
				संख्या	ऋण राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब नेशनल बैंक	2000	2181	2001	1805	337.60	163.45	100.05
भारतीय स्टेट बैंक	958	1085	960	960	230.40	86.40	100.20
बैंक ऑफ इण्डिया	508	251	189	182	36.80	14.40	37.20
बैंक ऑफ बड़ौदा	445	253	207	186	37.64	16.74	46.51
इलाहाबाद बैंक	131	91	84	71	13.62	6.39	64.12
कैनरा बैंक	128	90	80	66	15.12	5.94	62.50
भो.रो.ग्रा. बैंक	2338	3597	3273	2672	63273	24057	81.29
योग	6508	5890	5416	4549	976.86	409.41	81.05

अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक को विगत तीन बैठकों से MSTP के लाभान्वितों की सूची उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु अभीतक यह सूची प्राप्त नहीं होना अत्यंत ही एवं चिन्ता का विषय है। साथ ही साथ विभिन्न श्रोतों से मिल रही इस आशय की शिकायत कि बैंक प्रबंधकों द्वारा पुराने बोरिंग को नया दिखाकर सम्पन्न लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है, के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक से जॉचोपरान्त स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया था। परन्तु इस संदर्भ में भी अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा दिये गए निदेश का अनदेखी कर अभीतक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी है यह अत्यंत चिन्तनीय एवं खेदजनक स्थिति है। अग्रणी जिला प्रबंधक से इस संबंध मे एक सप्ताह में स्पष्टीकरण प्राप्त उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु उनके उच्चाधिकारी को लिखने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, अग्रणी जिला प्रबंधक)।

5. PMRY योजनान्तर्गत समीक्षा के कम में स्पष्ट लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र लक्ष्य के अनुरूप बैंकों में ऋण आवेदनपत्र भेजकर उसका स्वयं बैंक शाखाओं में घूम—घूम कर अनुश्रवण करें तथा वित्तपोषण सुनिश्चित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप वित्तपोषण सुनिश्चित करने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन:— महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक)।

6. निलाम पत्र वाद (PDR) की समीक्षा के कम में सभी बैंकों द्वारा किये जा रहे सकिय सहयोग के लिए उन्हें बैठक में ध्यान्यवाद दिया गया तथा भविष्य में भी इसीतरह की सहयोग की अपेक्षा की गयी।

(अनुपालन:—उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक, लेखा प्रशासन, जि0ग्रा0वि0अ0)।

7. किसान केडिट कार्ड निर्गत किये जाने की समीक्षा के कम में प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि सबसे अच्छी उपलब्धि भोजपुर—रोहतास ग्रामीण बैंक की 102.66 है जिसके द्वारा 50621 हजार रूपये के वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 93184 हजार रूपये है तथा पंजाब नेशनल बैंक का 35661 हजार रूपये के वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 71421 हजार रूपये है जो कुल लक्ष्य के कमशः 102.66 प्रतिशत् एवं 101.28 प्रतिशत है। इसीप्रकार कैनरा बैंक केंवा की उपलब्धि 77.08 प्रतिशत एवं भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि 77.06 प्रतिशत् है। जिले के शेष बैंकों की उपलब्धि 45 प्रतिशत् से 60 प्रतिशत के बीच है। यदि सभी बैंक इस लाभकारी योजना का कार्यान्वयन शतप्रतिशत कर देते तो जिले की उपलब्धि 100 प्रतिशत हो जाती जो अभी मात्र 90 प्रतिशत् ही

Rajendra

है। अतः बैठक में कम प्रगति वाले बैंकों के जिला समन्वयकों को शतप्रतिशत् किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु कर्रवाई करने का निदेश दिया गया।

8. SJSRY ऋण–सह–अनुदान आवास योजना की समीक्षा के कम में उपलब्धि नगण्य दिखलाई जा रही है। यह सरकार की अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है । अतः इसे लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वित कराने हेतु निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक सभी बैंकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक, बी0आर0जी0बी0)।

9. विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा विगत बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में 1.50 करोड़ रूपये प्रखण्डो को दी गयी राशि के व्यय के समीक्षा के कम में स्थिति असंतोषप्रद पाई गयी। जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण इसकी पूरी समीक्षा नहीं की जा सकी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस योजनान्तर्गत पर्याप्त संख्या में लक्ष्य वर्ग के लाभान्वितों का आवेदनपत्र बैंक शाखाओं को उपलब्ध करावेगें तथा बैक द्वारा स्वीकृत कर वित्त पोषण किया जाय।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक सभी बैंकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक, ग्रामीण बैंक एवं जिला कल्याण पदा0, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक)।

10. विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित ऋण वितरण शिविर में वितरित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों यथा ट्रैक्टर, पम्पसेट, स्प्रेयर आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर प्रमण्डल, भभुआ को देने का निर्णय लिया गया ताकि इन सामानों के आपूर्तिकर्त्ताओं से विकी कर की वसूली हो सके। इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक सभी बैंकों के जिला समन्वयक/क्षेत्रीय प्रबंधक, ग्रामीण बैंक तथा जिला कल्याण पदा0)।

वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए वार्षिक कार्य योजना की तैयारीः–

वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के संबंध में चर्चा के कम में निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए स्वीकृत कार्य योजना में 10 प्रतिशत् की बढोत्तरी कर सभी बैंकों का लक्ष्य विगत वर्ष की भाँति निर्धारित किया जाय तथा भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक के लक्ष्य में से 4.00 करोड (चार करोड रूपया) घटाकर सासाराम–भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाय। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए विस्तृत वार्षिक कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निदेश अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाव नेशल बैंक, कैमूर (भभुआ) को दिया गया।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाव नेशनल बैंक, कैमूर)।

अन्यान्यः–

(1) विचार–विमर्श के कम में बताया गया कि कैमूर जिला में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का शाखा किसी बैंक में नहीं है अतः इस बैंक का शाखा इस जिले में जनहित में खेलवाना नितांत आवश्यक है। विचारोपरान्त स्पष्ट हुआ कि इस जिले के नुऑव प्रखण्ड एवं अधौरा प्रखण्ड में व्यावसायिक बैंक का कोई शाखा नहीं है, अतः नुऑव एवं अधौरा प्रखण्ड में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का शाखा खेलवाने हेतु सर्वसम्मत से प्रारताव पारित किया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करेगें।

(अनुपालनः– अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाव नेशनल बैंक, कैमूर)।

(2) विकास कार्यकमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों से निर्गत चेकों का क्लियरेंस द्रुतगति से कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) DLRC की बैठक में जनप्रतिनिधियों को भी भाग लेना है। अतः DLRC की बैठक आयोजित करने हेतु संचिका में प्रस्ताव देकर तिथि निर्धारित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से पत्र सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ संबंधित पदाधिकारियों को निर्गत किया जाय।

Rajendra

(4) अनुदान मद में प्राप्त 50.00 लाख रूपये की राशि को संबंधित बैंको को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त के माध्यम से निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन अग्रणी तथा जिला प्रबंधक)।

Rajendra 3.4.2005
जिलाधिकारी, कैमूर

ज्ञाप संख्या– /जि0ग्रा0वि0अ0, भभुआ, दिनांक 03.04.2005.

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी बैंको के शाखा प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Rajendra 3.4.2005
जिलाधिकारी, कैमूर

ज्ञाप संख्या– /जि0ग्रा0वि0अ0, भभुआ, दिनांक 03.04.2005.

प्रतिलिपि आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि विकास आयुक्त, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 3.4.2005
जिलाधिकारी, कैमूर

परिशिष्ट–"क"

दिनांक 23.03.2005 को जिला परामर्शदातृ समिति की विशेष बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	उपस्थिति
1	2	3	4
1	डॉ0बी0राजेन्दर,भा0प्र0से0,	जिलाधिकारी,कैमूर एवं अध्यक्ष	उपस्थित
2	श्री श्रीधर सी. भा0प्र0से0,	उप विकास आयुक्त,कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
3	श्री अशीष कुमार,	निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जि0ग्रा0वि0अभि0कैमूर	उपस्थित
4	श्री सी.के.झा	अध्यक्ष, भोजपुर--रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा	उपस्थित
5	श्री वाई एन0 मिश्र	मुख्य प्रबधक,क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, आरा	उपस्थित
6	श्री डी.एन.राम	सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पांचवी मंजिल मौर्य लोक, पो0बाक्स नं0 178,पटना	उपस्थित
7	श्री महीप कुमार	सहायक महाप्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक,पटना	अनुपस्थित
8	श्री बक्सी एन0पी0 सिह	वरीष्ट प्रबधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक	उपस्थित
9	रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि		अनुपस्थित
10	श्री विनय कुमार सिह	अग्रणी जिला प्रबधक,पजाब नेशनल बैंक,कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
11	श्री बेनी माधव सिह	क्षेत्रीय प्रबधक,भोजपुर–रोहतास ग्रामीण बैंक,भभुआ	उपस्थित
12	श्री शैलेन्द्र प्रसाद	मुख्य प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, भभुआ जिला समन्वयक स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में।	उपस्थित
13	श्री ए0के0सिह	जिला समन्यवक,बैंक ऑफ बडोढा,मोहनिया	अनुपस्थित
14	श्री अशोक कुमार गर्ग	जिला समन्यवक,बैंक ऑफ इडिया,रामगढ	अनुपस्थित
15	श्री प्रभात किरण	जिला समन्यवक, केनरा बैंक, केवा	उपस्थित
16	श्री ए0के0वैशिखीयार	जिला समन्यवक,इलाहाबाद बैंक,दुर्गावती	अनुपस्थित
17	डॉ0 विनोद प्रसाद सिह	जिला,पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
18	श्री मुन्द्रिका प्रसाद चौधरी	महाप्रबधक, जिला उद्योग केन्द्र,कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
19	श्री इन्द्र देव मोची	प्रबध निदेशक, सासाराम–भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि0 सासाराम	उपस्थित
20	श्री रणवीर सिंह	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	उपस्थित
21	श्री व्रजराज राय	जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	अनुपस्थित